न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 202/2022(GCMS : 2022/298)**

पंजाब नेशनल बैंक, जरिये श्री बनवारी लाल कुक्कड़, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **श्रीमती पूनम सिंगला** पत्नी श्री कपिल बंसल निवासी गांव 13 एफएफ, मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री कपिल बंसल** पुत्र श्री सुरेश बंसल निवासी गांव 13 एफएफ, मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. **श्री निखिल बंसल** पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी गांव 13 एफएफ, मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण पूनम सिंगला, कपिल बंसल एवं निखिल बसंल को ऋण सुविधा के रूप में 14.00/- लाख रूपये (अखरे रूपये चौदह लाख मात्र) की ऋण राशि दिनांक 03.07.2015 को स्वीकृति की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पूनम सिंगला की अचत सम्पत्ति रिहायशी भूखण्ड संख्या आरवी-11 व आरवी-12 (द्वितीय तल पर दोनों भूखंडो के मध्य का भाग), किल्ला नं. 4, मुरब्बा नम्बर 27, (क्षेत्रफल 20' गुणा 60' वर्गफीट), चक 7-ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की थी और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों ने बकाया राशि जमा करवा दी है, इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया गया व पाया कि दिनांक 23.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पूनम सिंगला, कपिल बंसल एवं निखिल बसंल के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज मे पूनम सिंगला की अचल सम्पत्ति रिहायशी भूखण्ड संख्या आरवी—11 व आरवी—12 (द्वितीय तल पर दोनों भूखंडो के मध्य का भाग), किल्ला नं. 4, मुरब्बा नम्बर 27, (क्षेत्रफल 20′ गुणा 60′ वर्गफीट), चक 7—ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़्मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़्मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested